रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 1996/ज्येष्ठ 31, 1918
No. 191] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 1996/JYAISTHA 31, 1918

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 1996

सा. का. नि. 250 (अ).—विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसे किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

ऐसे आक्षेप या सुझाव सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम विकास परिषद् प्रकिया संबंधी (संशोधन) नियम, 1996 है।

2. विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) उपाध्यक्ष से इन नियमों के अधीन नियुक्त या निर्वाचित उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।"

3. उक्त नियमों के नियम 4 के उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्त: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(4) परिषद् का उपाध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् के सदस्यों में से तब नियुक्त किया जाएगा जब अध्यक्ष शासकीय पक्ष से नियुक्त किया जाता है और वह अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष से अनाधिक उतनी अवधि तक पद धारण करेगा जितनी केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

"परन्तु कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परिषद् का सदस्य नहीं रह गया है, उपाध्यक्ष का पद धारण नहीं करेगा।"

(5) उपाध्यक्ष, सम्बद्ध परिषद् के अध्यक्ष को सम्बोधित अपने लेख द्वारा और उसकी एक प्रति सदस्य-सचिव को भेज कर, अपना पद त्याग सकेगा।

(6) उपाध्यक्ष के पदत्याग से हुई रिक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् के किसी अन्य सदस्य की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा और इस प्रकार नियुक्त उपाध्यक्ष, उस उपाध्यक्ष को, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है, की शेष पदावधि तक पदधारण

करेगा ।"

4. उक्त नियमों के नियम 12 में,—

(क) उप नियम (1) में, "अध्यक्ष" शब्द के पश्चात् "या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष" शब्द रखे जाऐंगे ।

(ख) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

"(3) ऐसे किसी कार्य पर जो सूची में नहीं है, अध्यक्ष के अथवा जहां उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता कर रहा है वहां उपाध्यक्ष के अनुमोदन के बिना विचार नहीं किया जाएगा ।"

5. उक्त नियमों के नियम 13 में,

(क) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) परिषद् की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा तथा जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो वहां उपस्थित सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष निर्वाचित कर लेंगे;"

(ख) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि परिषद् द्वारा विनिश्चय किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर है, तो अध्यक्ष का या यदि उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता कर रहा है तो यथास्थिति उपाध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य का निर्णायक मत होगा ।"

6. उक्त नियमों के नियम 15 में, उप नियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखें जाएंगे, अर्थात् :—

"(1) परिषद् के सभी कार्य और कार्यवाहियां जब वे अध्यक्ष द्वारा या अध्यक्ष के अनुमोदन से उपाध्यक्ष/सचिव द्वारा पृष्ठांकित की गई हों तो वे सम्बद्ध परिषद् की सही कार्यवाहियां समझी जाएंगी ।

(2) अध्यक्ष या अध्यक्ष के अनुमोदन से उपाध्यक्ष या सचिव, ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिषद् के विनिश्चयों के अनुसार उन्हें समनुदेशित किए गए हैं ।"

[फा. सं. 1 (1)/96-एल पी]

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना, सं. का. नि. आ. 359, तारीख 19 फरवरी, 1953 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, 19 सितम्बर, 1953 पृष्ठ 467 से 469 पर प्रकाशित किये गए थे । उसके तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किये गये :—

(i) अधिसूचना सं. का. आ. 42 (अ), तारीख 21 जनवरी 1981 देखिये भारत का राजपत्र, असाधारण, 1981 भाग 2, खण्ड 3(2) तारीख 21 जनवरी, 1981, पृष्ठ 94 और 95 ।

(ii) अधिसूचना सं. का. आ. 161 (अ) तारीख 22 मार्च, 1982 देखिये भारत का राजपत्र, असाधारण, 1982 भाग 2, खण्ड 3 (2) तारीख 22 मार्च 1982, पृष्ठ 307 और 308 ।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 1996

GSR 250 (E).—The following draft of certain rules further to amend the Development Councils (Procedural) Rules, 1952 which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by section 30, read with section 6, of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) are hereby published as required by sub-section (1) of the said section 30 for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the date so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Such objection or suggestions may be addressed to the Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

DRAFT RULES

1. These Rules may be called the Development Councils Procedural (Amendment) Rules, 1996.

2. In rule 2 of the Development Councils Procedural Rules, 1952 (hereinafter referred to as the said Rules), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :—

(e) "Vice-Chairman means a Vice-Chairman appointed or elected under these rules."

3. In rule 4 of the said rules, after sub-rule (3) the following sub-rules shall be inserted, namely :—

(4) "A Vice-Chairman of a Council may be appointed, when the Chairman is appointed from the official side, by the

Central Government from amongst the members of the Council and shall hold office for a period, not exceeding 2 years, as may be specified by the Central Government, from the date of his appointment;

"Provided that no person shall hold office of Vice-Chairman after he has ceased to be Member of the Council."

(5) The Vice-Chairman may resign his office by writing and addressed to the Chairman of the Council concerned with a copy to the Member-Secretary thereof.

(6) The vacancy caused by the resignation of the Vice-Chairman may be filled by appointment by the Central Government of another Member of the Council as Vice-Chairman and the Vice-Chairman so appointed shall hold office for the remaining period of the term of the Vice--Chairman in whose place he is appointed."

4. In rule 12 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1), after the word "Chairman" the words "or in the absence of the Chairman, the Vice-Chairman," shall be substituted;

(b) in sub- rule (3), the following shall be added at the end, namely :—

"or where the Vice-Chairman is presiding over the meeting, of the Vice-Chairman."

5. In rule 13 of the said rules,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The Chairman, or in his absence the Vice-Chairman shall preside over the meeting of a Council and where both the Chairman and Vice-Chairman are absent the Members present shall elect a Chairman from amongst themselves.";

(b) in sub-rule (4), for the words "or the Members" the words "or if the Vice-Chairman or any other Member is presiding, the Vice-Chairman or such Member, as the case may be" shall be substituted.

6. In rule 15 of the said rules, for sub-clauses (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(1) All acts and proceedings of the Council when endorsed by the Chairman or by the Vice-Chairman/Secretary with the approval of Chairman shall be deemed to be true proceedings of the concerned Council.

(2) The Chairman or the Vice-Chairman or the Secretary with the approval of the Chairman shall perform such of the functions as assigned to them on behalf of the Council in accordance with its decisions."

[File No. 1 (1)/ 96-LP]

ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

Note :

Principal rules published vide notification number S.R.O. 359 dated the 19th February, 1953 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, dated the 19th September, 1953, pages 467—469, subsequently amended by —

(i) Notification number S.O. 42 (E) dated the 21st January, 1981, Gazette of India, Extraordinary, 1981 Part-II, Section 3 (ii) dated the 21st January, 1981 pages 94-95.

(ii) Notification number S.O. 161 (E) dated the 22nd March, 1982, Gazette of India, Extraordinary, 1982 Part-II, Section 3 (ii), dated the 22nd March, 1982, pages 307-308.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996